शाश्वत पट्टा एवं समपहरण - रघुराम राव बनाम ई० वी० मठिया शाश्वत पट्टे पर उच्चतम न्यायालय की नवीनतम व्यवस्था है। यह अपील कर्नाटक हाईकोर्ट के खिलाफ थी। निचली अदालत ने फैसले को उलटते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट की बंगलौर पीठ ने यह पाया था कि वादी लीजहोल्ड सम्पत्ति का कब्जा पाने का अधिकारी है उसका वाद डिक्री हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किया :-

(1) यह कि शाश्वत पट्टाग्रीहता पर यदि शर्त लगी हो कि वह लीज होल्ड का अन्तरण नहीं करेगा। ऐसी शर्त धारा 10 सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम द्वारा अवैध नहीं की जा सकती। शर्त न तो शून्य है और न गैर कानूनी।

(2) ऐसे पट्टों को निरस्त करने के पूर्व सूचना की जरूरत नहीं है पट्टे को बिना पूर्व सूचना के समाप्ति गलत नहीं है।

(3) पट्टेदार ने लीजहोल्ड सम्पत्ति का अन्तरण न करने की स्पष्ट शर्त मानी थी। यह आंशिक अवरोध का मामला था। अतः पट्टाकर्ता से हित प्राप्त व्यक्ति पट्टा के समपहरण की बात नहीं उठा सकता है।

(4) शाश्वत पट्टों में संविदा का रिश्ता पट्टादाता व पट्टाग्रहीता के बीच होती है। पट्टादाता व अन्तरिती के बीच कोई रिश्ता नहीं बनता है। पट्टा की परिसम्पत्ति पट्टादाता को पार्टी बनाये बिना नहीं की जा सकती है। पट्टाकर्ता के पक्ष में कब्जे की डिक्री नहीं दी जा सकती है।

समपहरण की परिस्थितियाँ - समपहरण निम्नलिखित परिस्थितियों में वैध होगा :-

अभिव्यक्त शर्त की भंग - किसी शर्त का भंग स्वतः पर्यवसान एवं जब्ती का कारण नहीं होता इसके लिए निम्नलिखित विशेषताओं का होना आवश्यक है जिनके वर्तमान होने पर पट्टाकर्ता समपहरण के लिए वाद चला सकेगा। पट्टाधारी को ऐसा कोई अधिकार नहीं प्राप्त है :-

(i) शर्त की स्थिति (ii) शर्त का भंग (iii) पुनः प्रवेश का सुरक्षित अधिकार।

पट्टे के अध्याय में शर्त की स्थिति का तात्पर्य आंग्ल-विधि के 'कावेनेन्ट' (प्रसंविदा) से है जिसके द्वारा पट्टे द्वारा परिदत्त हित पर कोई प्रतिबंध या सीमा पट्टाकर्ता द्वारा रखी जाती है और जिसके भंग हो जाने पर संविदानुसार पट्टे की परिसमाप्ति की जा सकती है; उदाहरणार्थ - अ ने ब को मकान का पट्टा दिया। अभिव्यक्त शर्त थी कि मकान का समनुदेशन पट्टाधारी की स्त्री एवं बच्चें के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को किये जाने की स्थिति में पट्टा शून्य हो जायेगा। इस शर्त को अभिव्यक्त शर्त कहते हैं जिसकी अवमानना मात्र से पट्टाकर्ता को सामान्यतः अधिकार मिल जायेगा कि पट्टा समाप्त करके पट्टाजन्य हित वापस ले ले।

समपहरण की स्थिति का आधार अभिव्यक्त शर्त का भंग होना मात्र नहीं है। शर्त-भंग की स्थिति हर्जाना देकर भी टाली जा सकती है। समपहरण के लिए द्वितीय तत्व पुनः प्रवेश का सुरक्षित अधिकार है, जिसके वर्तमान होने पर ही समपहरण वैध होगा।

समपहरण से मुक्ति - उपर्युक्त स्थिति में जबकि स्थावर सम्पत्ति के किसी पट्टे का पर्यवसान किसी ऐसे अभिव्यक्त शर्त के भंग होने से हुआ है जिसके अन्तर्गत पट्टाकर्ता को पुनः प्रवेश का अधिकार भी आरक्षित रखा गया था। इस तरह समपहरण के लिए वाद चलाने का पूर्ण अधिकार उसे प्राप्त होने पर भी निम्न शर्तो को पूरा किये बिना बेदखली का मुकदमा चलाने का अधिकार निरस्त रहेगा :-

(i) परिवादित विशिष्ट भंग का विनिर्देशन करने वाली, तथा

(ii) यदि भंग उपचार-योग्य है, तो उस भंग का उपचार करने की पट्टेदार से उपेक्षा करने वाली,

(iii) लिखित सूचना की तामीली पट्टेदार पर अवश्य कर दी गई हो, तथा

(iv) उपचार-योग्य भंग को पट्टेदार उपचार सूचना की तामील की तारीख से युक्तियुक्त

समय के भीतर ठीक करने में असफल रहा हो।

अपवाद – समपहरण से बचाव निम्नलिखित मामलों में रखी गई शर्तों में नहीं प्राप्त होगा :-

(अ) समनुदेशन के खिलाफ अभिव्यक्त शर्तें
(ब) उपपट्टाकरण-विषय शर्तें
(स) कब्जा-विलयन-सम्बन्धी शर्तें
(द) व्ययन के विरूद्ध शर्तें
(ध) भाटक के असंदाय के विषय में शर्तें।

पट्टाकर्ता के स्वामित्व का प्रत्याख्यान (डिस्क्लेमर ऑफ टाइटिल ऑफ दि लेसर) – यदि पट्टेदार किसी स्थिति में, किसी समय पट्टाकर्ता स्वामी के स्वामित्व या पट्टा देने के अधिकार को चुनौती देना प्रारम्भ करे तो मकान-मालिक (लैंडलार्ड) को अधिकार होगा कि किरायेदारी समाप्त करके पट्टाजन्य हित का जब्त कर ले। पट्टाकर्ता के स्वामित्व की किरायेदार द्वारा चुनौती की धमकी किरायेदार द्वारा पट्टे के सम्बन्ध में प्रतिकूल आचरण है।

प्रत्याख्यान की शर्तें – प्रत्याख्यान के लिए निम्नलिखित शर्तें महत्वपूर्ण हैं :-

(अ) किरायेदार आभोगी स्वामित्व के या तो अपने स्वयं में या किसी अन्य निश्चित व्यक्ति में निहित होने की बात करे जिससे इस तथ्य पर लेशमात्र भी संदेह न रह जाय कि उन दोनों पक्षों के बीच पट्टाजन्य स्तर किसी सीमा तक अपप्रवर्तित रहा है। आचरण से स्पष्ट हो जाने चाहिए कि आभोगी पट्टाकर्ता को पट्टा की जाने वाली सम्पत्ति का स्वामी नहीं मानेगा अपितु उसके स्थान पर स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को पट्टा की गई सम्पत्ति का मालिक करार देता है।
(ब) नकारात्मक आचरण अत्यन्त स्पष्ट, प्रत्यक्ष एवं असंदिग्ध होना चाहिए ताकि पट्टाकर्ता को अपने हित पर निश्चित आघात प्रतीत हो।
(स) प्रत्याख्यान का ज्ञान पट्टाकर्ता को अवश्य होना चाहिये।
(द) पट्टाकर्ता से स्वामित्व का प्रमाण माँगना, पट्टे की शर्तों पर विवाद खड़ा करना, किराये की अदायगी में भूल या इन्कार आदि के मामले स्वामित्व के प्रत्याख्यान नहीं है।
(ध) अपना किरायेदार का स्तर मानते हुए भी, पट्टाकर्ता को स्वामी की स्थिति में न स्वीकार करे,
(न) स्वामित्व की स्थिति किसी अन्य व्यक्ति में करार दे, या तो इसे स्वामित्व का प्रत्याख्यान कहेंगे जिससे किसी भी पट्टे का समपहरण पट्टाकर्ता कर सकेगा।
(क) यदि इस आशय की नोटिस पट्टाकर्ता को दे दी हो।
(ख) प्रत्याख्यान की घटना बेदखली का वाद चलाने के पूर्व होनी चाहिये। मुकदमा चलने के बाद किरायेदार यदि प्रतिवादी के बयान के रूप में स्वामित्व से इन्कार करे तो उसे समपहरण का आधार नहीं माना जायेगा।
(ग) प्रत्याख्यान की स्थिति में किरायेदार को कोई राहत नहीं मिलेगी।

दिवालियेपन की स्थिति में पट्टे का समपहरण – दिवालिया हो जाने की स्थिति में सम्पत्ति वापस ले लेने की शर्त के साथ लिया गया पट्टे के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की सम्पत्ति अन्तरण धारा 112 के अनुसार अवैध होगा। पट्टे की स्थिति में ऐसी शर्त वैध होगी तथा पट्टे के समपहरण में महत्वपूर्ण योग देगी। (पट्टेदार के) दिवालिया हो जाने की शर्त पर पट्टा वापस लेने की शर्त प्रवर्तनीय होती है। समपहरणीय होने के लिए निम्नलिखित शर्तों का होना आवश्यक है :-

(अ) पट्टेदार,
(ब) न्यायालयीय आदेश या डिक्री द्वारा,
(स) दिवालिया या शोधाक्षम, घोषित कर दिया गया हो, तथा

(द) पट्टेनामे में पट्टाकर्ता द्वारा पुनः प्रवेश का अधिकार आरक्षित हो, तथा

(ध) समपहरण के आशय की सूचना पट्टेदार को दे दी गई हो तो पट्टे का समपहरण किया जा सकता है।

धारा 112 समपहरण का अधित्यजन – धारा 111 के खण्ड (छ) के अधीन हुआ समपहरण उस भाटक के प्रतिग्रहण द्वारा, जो समपहरण की तिथि से शोध्य हो गया है, या ऐसे भाटक के लिए करस्थम् द्वारा या पट्टाकर्ता की तरफ से किसी ऐसे अन्य कार्य, द्वारा जिससे पट्टे को चालू मानने का उसका आशय दर्शित होता हो, अधित्यक्त हो जाता है :-

परन्तु यह तब जब कि पट्टाकर्ता को यह जानकारी हो कि समपहरण उपगत हो गया है, परन्तु यह और भी कि जहाँ कि पट्टेदार को समपहरण के आधार पर बेदखल करने के लिए वाद संस्थित किये जाने के पश्चात् भाटक प्रतिगृहीत कर लिया जाता है, वहाँ प्रतिग्रहण अधित्यजन नहीं है।

धारा 113 छोड़ देने की सूचना का अधित्यजन – धारा 111 के खण्ड (ज) के अधीन दी गयी सूचना जिस व्यक्ति को दी गयी है, उस व्यक्ति की अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति से वह उसे देने वाले व्यक्ति के किसी ऐसे कार्य द्वारा, जिससे पट्टे को चालू मानने का उसका आशय दर्शित होता है, अधित्यजन हो जाती है।

दृष्टांत

(क) पट्टाकर्ता क पट्टेदार ख को पट्टे पर दी गयी सम्पत्ति को छोड़ देने के लिए सूचना देता है। सूचना का अवसान हो जाता है। उस भाटक की निविदा, जो सूचना के अवसान से सम्पत्ति मद्धे शोध्य हुआ हो, ख करता है और क उसे प्रतिगृहीत कर लेता है। सूचना अधित्यक्त हो जाती है।

(ख) पट्टाकर्ता क पट्टेदार ख को पट्टे पर दी गयी सम्पत्ति को छोड़ देने के लिये सूचना देता है। सूचना का अवसान हो जाता है और ख अपना कब्जा कायम रखता है। क छोड़ देने की दूसरी सूचना ख को अपने पट्टेदार के नाते देता है। पहली सूचना अधित्यक्त हो जाती है।

धारा 114 भाटक का संदाय न करने के कारण समपहरण से मुक्ति – जहाँ कि स्थावर सम्पत्ति के पट्टे का पर्यवसान भाटक न देने से समपहरण द्वारा हो गया है, पट्टाकर्ता पट्टेदार को बेदखल करने के लिए वाद लाता है वहाँ यदि वाद की सुनवाई में पट्टेदार पट्टाकर्ता को बकाया भाटक उस पर ब्याजसहित और वाद के उसके पूरे खर्चे दे देता है या निविदत्त करता है या ऐसी प्रतिभूति दे देता है जिससे न्यायालय ऐसा संदाय पन्द्रह दिन में किये जाने के लिए पर्याप्त समझता है, तो न्यायालय बेदखली के लिये डिक्री देने के बदले पट्टेदार को समपहरण से मुक्ति देने का आदेश दे सकेगा और तदुपरि पट्टाकृत सम्पत्ति को ऐसे धारित करेगा मानों समपहरण हुआ ही नहीं था।

धारा 114क कुछ अन्य दशाओं में समपहरण से मुक्ति – जहाँ कि स्थावर सम्पत्ति के किसी पट्टे का पर्यवसान किसी ऐसी अभिव्यक्त शर्त के भंग के कारण समपहरण द्वारा हो गया है, जो यह उपबंधित करती है कि उसके भंग पर पट्टाकर्ता पुनः प्रवेश कर सकेगा, वहाँ बेदखली के लिए कोई वाद तक तक न होगा जब तक कि और यदि पट्टाकर्ता ने पट्टेदार पर :-

(क) परिवादित विशिष्ट भंग का विनिर्देश करने वाली, तथा

(ख) यदि भंग उपचार योग्य है तो उस भंग का उपचार करने की पट्टेदार से अपेक्षा करने वाली, लिखित सूचना की तामील न कर दी हो और यदि वह भंग उपचार-योग्य है तो पट्टेदार उसका सूचना की तामील की तारीख से युक्तियुक्त समय के भीतर करने में असफल न रहा हो।

इस धारा की कोई भी बात ऐसी किसी अभिव्यक्त शर्त को, जो पट्टे पर दी गयी सम्पत्ति के समनुदेशन, उप-पट्टाकरण, कब्जा-विलयन या व्ययन के विरूद्ध है, अथवा भाटक के अंशदाय की दशा में समपहरण से सम्बन्धित किसी अभिव्यक्त शर्त को लागू नहीं होगी।

धारा 115 अभ्यर्पण और समपहरण का उपपट्टों पर प्रभाव – स्थावर सम्पत्ति के पट्टे के अभिव्यक्त या विवक्षित अभ्यर्पण का प्रतिकूल प्रभाव सम्पत्ति के या उसके किसी भाग के ऐसे उपपट्टे

पर नहीं पड़ता जो पट्टेदार द्वारा उन बिन्धनों और शर्तों पर पहले ही अनुदत्त कर दिया गया है जो (भाटक की रकम के बारे में के सिवाय) सारतः वे ही हैं जो मूल पट्टे की हैं, किन्तु जब तक कि यह अभ्यर्पण नया पट्टा अभिप्राप्त करने के प्रयोजन से न किया गया हो, उप-पट्टेदार द्वारा देय भाटक और उसे आबद्ध करने वाली संविदाएँ क्रमशः पट्टाकर्ता को दये और उसके द्वारा प्रवर्त्तनीय रहेंगी।

ऐसे पट्टे का समपहरण ऐसे सब उप-पट्टें को वहाँ के सिवाय बातिल कर देता है जहाँ कि ऐसा समपहरण पट्टाकर्ता द्वारा उप-पट्टेदारों को कपट वंचित करने के लिए उपाप्त किया गया है या यहाँ कि समपहरण से मुक्ति धारा 114 के अधीन अनुदत्त की गयी है।

धारा 116 अतिधारण का प्रभाव – यदि सम्पत्ति का पट्टेदार या उप-पट्टेदार पट्टेदार को अनुदत्त पट्टे के पर्यवसान के पश्चात् उस पर अपना कब्जा बनाये रखता है और पट्टाकर्ता या उसका विधिक प्रतिनिधि पट्टेदार या उप-पट्टेदार से भाटक प्रतिगृहीत करता है या कब्जा बनाये रखने के लिए अन्यथा उसको अनुमति देता है तो तत्प्रतिकूल करार के अभाव में पट्टा धारा 106 में यथाविनिर्दिष्ट उस प्रयोजन के अनुसार, जिसके के लिए सम्पत्ति पट्टे पर दी गयी थी, वर्षानुवर्ष या मासानुमास के लिए नवीकृत हो जाता है।

दृष्टांत

(क) क एक गृह ख को पाँच वर्षों के लिए पट्टे पर देता है। ख वह गृह ग को 100 रूपये मासिक भाटक पर उप-पट्टे पर देता है। पाँच वर्ष का अवसान हो जाता है किन्तु ग गृह पर कब्जा बनाये रखता है और क को भाटक देता है। ग का पट्टा मासानुमास नवीकृत होता रहता है।

(ख) ख को क एक फार्म ग के जीवन-पर्यन्त के लिए पट्टे पर देता है। ग की मृत्यु हो जाती है, किन्तु क की अनुमति से ख कब्जा बनाये रखता है। ख का पट्टा वर्षानुवर्ष नवीकृत होता रहता है।

धारा 117 कृषि-प्रयोजनों वाले पट्टों को छूट – इस अध्याय के उपबंधों में से कोई भी उपबंध कृषि-प्रयोजनों वाले पट्टों को वहाँ तक के सिवाय लागू नहीं होता जहाँ तक कि राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा घोषित कर दे कि ऐसे सब उपबंध या उनमें से कोई उपबंध ऐसे सब पट्टों या उनमें से किसी के विषय में तत्समय प्रवृत्त स्थानीय विधि के, यदि कोई हो, उपबंधों के सहित या अध्यधीन लागू होंगे। ऐसी अधिसूचना तब तक प्रभाव में न आयेगी जब तक उसके प्रकाशन की तारीख से छः मास का अवसान न हो जाये।

AMBITION

अध्याय 6

विनियमों के विषय में

सार-परिचय

⇒ धारा 118 "विनिमय" की परिभाषा
⇒ विनिमय की विशेषताएँ
⇒ विनिमय के आवश्यक तत्व
⇒ अचल सम्पत्ति की अचल सम्पत्ति से अदला-बदली
⇒ चल सम्पत्ति की चल सम्पत्ति से अदला-बदली
⇒ चल सम्पत्ति की अचल सम्पत्ति से अदला-बदली

धारा **118** "विनिमय" की परिभाषा – जब कि दो व्यक्ति एक चीज का स्वामित्व किसी अन्य चीज के स्वामित्व के लिए परस्पर अन्तरित करते है। जिन दोनों चीजों में से कोई भी केवल धन नहीं है या दोनों चीजें केवल धन हैं, तब वह संव्यवहार 'विनिमय' कहा जाता है।

विनिमय को पूर्ण करने के लिए सम्पत्ति का अन्तरण केवल ऐसे प्रकार से किया जा सकता है जैसा ऐसी सम्पत्ति के विक्रय द्वारा अन्तरण के लिए उपबंधित है।

विनिमय की विशेषताएँ – विनिमय की निम्नलिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं :–

(i) विनिमय पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करने का क्रय-विक्रय से भी पुराना अन्तरण है।
(ii) विनिमय में चीज को चीज के बदले मुद्रा व के मुद्रा के बदले प्राप्त किया जाता है। चीज को मुद्रा के बदले (विक्रय) या मुद्रा को चीज के बदले (क्रय) नहीं।
(iii) विनिमय के पक्ष वे अन्य सभी आवश्यक शर्तों, अधिकार व दायित्व व समस्त औपचारिकताएँ विक्रय में मिलती हैं।

विनिमय के आवश्यक तत्व – विनिमय के निम्नलिखित तत्व महत्वपूर्ण हैं :–

(i) पक्ष – पक्ष दो हों, सम्पत्ति दो हों, वही पक्ष हों आपस में अदला-बदली करें तभी विनिमय होगा। पक्ष अगद दो अलग-अलग संव्यवहार द्वारा दो अलग विलेखों द्वारा दो सम्पत्तियों की अदला-बदली करें तो संव्यवहार की प्रकृति पक्षों का उद्देश्य देखकर तय होगी अन्य अन्तरणों की भाँति विनिमय संव्यवहार का भी सम्बन्ध मुख्यतः दो पक्षों में होता है; यद्यपि कि क्रेता-विक्रेता या 'दाता' की तरह विनिमय के पक्षों को कोई स्पष्ट नाम नही दिया गया है। पक्षों की संविदा-विषयक वैयक्तिक क्षमता एवं सम्पत्ति-विषयक क्षमता का नियंत्रण संविदा के सामान्य सिद्धांतों से ही होता है; अतः विनिमय में दोनों पक्षों को शुद्ध चित्त, बालिग व संविदा के लिए सभी प्रकार से सक्षम होना चाहिये। इसके साथ ही दोनों में अपनी-अपनी सम्पत्ति देने की क्षमता होनी चाहिये। इसके साथ ही साथ दोनों की सम्पत्तियाँ अन्तरणीय होनी चाहिये।

(ii) चीजें – विनिमय चीज का ही होगा, अतएवं चीज की स्थिति का विवरण विनिमय के

लिए महत्वपूर्ण है। चीज सम्पत्ति से अधिक विस्तृत अर्थ रखती है चल एवं अचल सम्पत्तियाँ तो चीज में शामिल है ही इनके अतिरिक्त मुद्रा आदि चोजेजे इन ऐक्शन, चोजेज इन पजेशन या अन्य सभी कुछ जो मूल्यवान हो सभी चीज कही जाती है सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम में चीज से निकटतम मिलता-जुलता शब्द सम्पत्ति है। सम्पत्ति चाहे चल हो या यह अचल हो, विनिमय दोनों का वैध होगा परन्तु दोनों सम्पत्तियाँ अन्तरणीय होनी चाहिये। इस सिलसिले में निम्नलिखित तथ्य विचारणीय हैं :-

<u>अचल सम्पत्ति की अचल सम्पत्ति से अदला-बदली</u> - उदहारण अ ने अपना मकान ब को दे दिया और ब का खेत स्वयं ले लिया। यदि दोनों एक-दूसरे के एवज में हो तो यह विनिमय होगा। ऐसे कार्य के अनेक कारण हो सकते है; यथा-अ विश्वविद्यालय का प्रोफेसर है। उसे अध ययन के लिए शांतिपूर्ण व स्वच्छ इलाका आवश्यक है। उसका मकान किसी बाजार में यदि स्थित हो तो उसे काफी असुविधा होगी। इसी तरह ब एक व्यापारी है। उसका खेत शहर के किनारे खुली जगह पर स्थित है। उसे बाजार में स्थित मकान अधिक सुविधाजनक होगा। इन दोनों के लिए एक रास्ता तो यह है कि अ अपना मकान ब को बेचे और ब, अ को अपना खेत बेच दे। परन्तु इससे असुविधा यह होगी कि हो सकता है अ को 5 लाख रूपया देने वाला क्रेता मिल जाय जितना ब नहीं दे सकता या ब के खेत की 5 लाख रूपये कीमत लग जाय जिसे अ से दे सके तो दोनों का काम नहीं चलेगा। दूसरा रास्ता उनके लिए विनिमय का है जो उन्हें उपर्युक्त स्थिति से बचा सकेगा।

अ, ब की सम्पत्ति ले ले और ब, अ की सम्पत्ति ले ले। इस प्रकार का संव्यवहार धारा 118 में विनिमय कहा जा सकेगा। ऐसे संव्यवहार की रजिस्ट्री तब अनिवार्य होगी जबकि दोनों सम्पत्तियाँ या दोनों में से किसी की संभाव्य कीमत 100 रू० या इससे अधिक हो। उ० प्र० में कीमत की शर्त हटा दी गई है।

अतः जहाँ भी अचल सम्पत्ति का अन्तरण क्रय-विक्रय, विनिमय दान, बन्धक, पट्टा होगा विलेख की रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है।

<u>चल सम्पत्ति की चल सम्पत्ति से अदला-बदली</u> - चल सम्पत्ति से चल सम्पत्ति की अदला-बदली विनिमय कही जा सकती है। जैसे अ ने अपनी ऐम्बेसडर कार ब को दे दिया और ब की फिएट कार स्वयं ले लिया। यह विनिमय होगा। ऐसे मामलों में रजिस्ट्री अनिवार्य नहीं, चाहे सम्पत्तियों की सम्भावित कीमत कुछ भी हो। 1000 रूपये का नोट देकर 100 रू० के दस नोट ले लिया।

<u>चल सम्पत्ति की अचल सम्पत्ति से अदला-बदली</u> - ऐसी परिस्थिति धारा 118 के सिद्धांत को तकनीकी मोड़ देती है एक चल सम्पत्ति को देकर अचल सम्पत्ति प्राप्त करना विनिमय द्वारा सम्भव है। जैसे अ ने अपनी कार ब को दे दिया और ब का प्लाट उसके बदले में स्वयं ले लिया, यह विनिमय होगा। परन्तु इस प्रकार के संव्यवहार की रजिस्ट्री आवश्यक होगी यदि ब के प्लाट की सभावित कीमत 100 रू० या उससे अधिक हो। भले ही दूसरी सम्पत्ति अचल सम्पत्ति नहीं है। उ० प्र० में ऐसे मामलों में रजिस्ट्री अनिवार्य है।

<u>अचल सम्पत्ति में मूर्त (टैन्जिबिल्स) व अमूर्त (इनटैन्जिबिल्स) दोनों शामिल हैं</u> - मूर्त सम्पत्ति उसे कहते हैं जिसका बाह्य आकार स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है; जैसे - प्लाट, मकान, फरनीचर, कपड़े आदि। अमूर्त सम्पत्ति का आशय उन असंख्य अधिकारों एवं हितों से है जिनकी स्थिति केवल कानून की निगाहों में होती है, जिन्हें सामान्य निगाहें देख नहीं सकतीं; जैसे - बंधक में विमोचन के अधिकार, जब्ती के अधिकार, उत्तरभोगी के हित आदि। मूर्त सम्पत्ति का मूर्त संम्पत्ति से तो विनिमय होना स्वाभाविक ही है परन्तु मूर्त से अमूर्त एवं अमूर्त से मूर्त सम्पत्ति की

अदला-बदली भी विनिमय में सम्भव है; यथा – अ ने ब से 5000 रू० उधार लिया। जमानत के रूप में अ ने अपना मकान ब के पास बन्धक रख दिया। अ के पास उस मकान में बचा हित विमोचन का अधिकार कहा जाता है, जिसका स्वतंत्र दान, विक्रय व विनिमय किया जा सकता है। यदि अ तथा स आपस्पर चाहें तो अ का यह बिमोचन करने का अधिकार स ले ले और अपना मकान स, अ को इसके एवज में दे दे। यह विनिमय होगा। इसी तरह विमोचन के अधिकार को कर्ज के प्रतिफल से अदला-बदली विनिमय होगी।

दोनों वस्तुएँ चीज या सम्पत्ति होनी चाहिये – चाहे चल को चल सम्पत्ति से, या अचल को अचल सम्पत्ति से, या चल से अचल या अचल से चल मूर्त से अमूर्त या अमूर्त सम्पत्ति से मूर्त सम्पत्ति बदली जा रही हो प्रतिफल के वे अनेक स्वरूप व वर्ग विनिमय में प्रतिफल नहीं होगा जो कि सामान्य संविदा में प्रतिफल नही माने गये हों। किसी कार्य को प्रतिज्ञाकर्ता की इच्छा पर करना या करने से विरत रहना कर चुका होगा या करने से रूक गया होगा या करने से रूका रहने के वादे भले ही संविदा के लिये पर्याप्त प्रतिफल हों परन्तु विनिमय में वे विचारणीय नहीं होंगे। अतः यदि, ब को अपना मकान इसलिए अन्तरित कर दे क्योंकि ब ने सारी जिन्दगी ग की सेवा की है, तो यह विनिमय नहीं होगा। क्योंकि सेवा सम्पत्ति नहीं है।

मुद्रा की मुद्रा से अदला-बदली विनिमय होगी – उदहारणार्थ 100 रू० को नोट रूपये के सौ नोटों से बदल लिया जाय, या 13 डालर बदल कर 13 सौ रूपये ले लिये जाएँ; या सोना से सोना बदल लिया जाय आदि।

स्वामित्व में दो चीजें आवश्यक हैं – विनिमय की सबसे बड़ी विशेषता चीज को चीज से बदलने का तत्व है। विनिमय में एक व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का स्वामित्व दूसरे को सौंप देता है और दूसरा अपनी सम्पत्ति का स्वामित्व प्रथम व्यक्ति को उसके द्वारा किये गये अन्तरण के बदले अन्तरण करता है। स्वामित्व का अन्तरण चाहे पंजीकृत विलेख द्वारा हो या कब्जा परिदान द्वारा या दोनों से।

निम्नलिखित संव्यवहारों में स्वामित्व की अदला-बदली नहीं होगी :-

(अ) पारिस्परिक बन्दोबस्त – ऐसी स्थिति में प्रत्येक के अधिकारों का स्वतंत्र निर्धारण होता है। परन्तु उसे स्वतंत्र हिस्से का संयुक्त हिस्से से अदला-बदली माना जा सकता है। पारिवारिक बन्दोबस्त सम्पत्ति का अन्तरण है, अतएवं ऐसे मामलों में विनिमय का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ब) स्वत्व का अन्तरण – जब दो व्यक्ति परस्पर समझौता करके एक-दूसरे की सम्पत्ति एक-दूसरे की मर्जी से कब्जा कर ले और उसका उपभोग मनमाने तरीके से करें। चाहे प्रत्येक को अपनी सम्पत्ति असुविधापूर्ण एवं दूसरे के अधिक सुविधाजनक हो। स्वत्व परिवर्तित होने पर भी इसे विनिमय नहीं माना जायेगा, क्योंकि स्वामित्व का अन्तरण नहीं होगा; उदाहरणार्थ – एक मामले में प्रतिवादी ने दूसरे की जमीन जोतना। शुरू किया और अपनी सम्पत्ति पर उस दूसरे व्यक्ति को खेती करने की इजाजत दे दी। ऐसा करना दोनों के लिए सुविधाजनक था। दोनों के बीच दाखिल-खारिज आदि नहीं हुआ, दोनों का नाम पूर्ववत् अपनी-अपनी सम्पत्तियों के साथ दर्ज रहा जबकि वे कागजी विवरण के विपरीत एक-दूसरे के और दूसरा पहले के खेतों पर खेती करते रहे और एक-दूसरे के नाम में और दूसरे पहले केक नाम में लगान देते रहे। अदालत ने दोनों के बीच विनिमय की स्थिति नहीं मानी। विनिमय में अन्तरण स्वामित्व का होता है कब्जे मात्रा का नहीं।

(स) जब एक व्यक्ति द्वारा स्वामित्व का अन्तरण हो (जैसे विक्रय में) परन्तु दूसरे व्यक्ति ने स्वामित्व न दिया हो।

(द) जब पति अपनी सम्पत्ति में जीवन हित पत्नी को अन्तरित करे और पत्नी अपने भरण-पोषण का अधिकार पति को सौंप दे।

एकरूपता – विनिमय के लिए विषमता घातक है। सम्पत्ति के बदले सम्पत्ति, मुद्रा के बदले मुद्रा, यदि ली गई हो, तभी उस अन्तरण को विनिमय कहा जाता है यदि सम्पत्ति रूपये से बदला जाय या रूपया किसी अन्य की सम्पत्ति से बदला जाय, तो सुव्यवहार का नाम विक्रय एवं क्रय होगा, विनिमय नहीं। यद्यपि कि यह सम्भव है कि बदली जाने वाली सम्पत्तियों की कीमत को पूरा करने के विचार के एक व्यक्ति ने दूसरे द्वारा दी गई सम्पत्ति के बदले कम कीमत की सम्पत्ति तो दी है, साथ ही घाटे को पूरा करने के लिए मुद्रा भी दी है। इस स्थिति में दी जाने वाली मुद्रा ओवल्टी कही जाती है, कीमत नहीं।

अन्तरण यदि अंशतः रूपये के लिए हो और अंशतः सम्पत्ति के बदले में हो – तो भी संव्यवहार विनिमय हो सकता है। सम्पत्ति की कीमत रूपयों में प्रकट की गई हो यही तथि विनिमय को विक्रय में नहीं बदल सकेगा; यदि विनिमय की अन्य शर्तें पूरी हों। उदाहरणार्थ अ ने ब को अपनी सम्पत्ति 7 हजार रूपये में अन्तरण कर दी। पैंसठ सौ रूपये ब द्वारा नकद दे दिये गये और शेष 500 रू० के बदले ब ने अपना एक बाग अ के पास अन्तरण कर दिया। अ तथा ब ने अपने इस संव्यवहार को विक्रय कहा था। परन्तु इसके बावजूद भी दोनों संव्यवहार इस रूप में एक दूसरे से सम्बद्ध थे कि उन्हें स्वतंत्र अन्तरण नहीं कहा जा सकता था। पूरा मामला विनिमय माना गया।

क्या दो बयनामे विनिमय कहे जा सकते हैं? – यदि दो व्यक्ति दो सम्पत्तियाँ एक दूसरे को देना चाहते हों तथा दोनों की कीमतों में काफी अन्तर हो तो दोनों को बराबर करने के लिए रूपये का सहरा लिया जा सकता है। दोनों अपनी-अपनी सम्पत्ति का एक दूसरे के लिए यदि बयनामा लिख दें, तो भी यह संव्यवहार विनिमय हो सकता है। परन्तु इसके लिए कोई निश्चित मापदंड नहीं निर्धारित किया जा सकता है। पंचानन बनाम नारायन में अ भारतीय था, ब पाकिस्तानी था। अ ने ब की सारी जायदाद 400 रू० में खरीद ली और प्रतिफल के रूप में अपनी सारी जायदाद ब को 400 रू० में बेच दी। दोनों के बीच कोई दस्तावेज नहीं लिखा गया और यह समझौता हो गया कि जब भी कभी मौका मिलेगा बयनामें लिख दिये जायेंगे। दोनों में से न कोई रूपया देगा और न रूपया लेगा। दोनों अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट होंगे। दोनों के बीच विनिमय की कोई बात नहीं थी। परन्तु इसी करार के अनुसार दोनों ने कब्जा अदल-बदल लिया। न्यायालय ने इन दोनों को दो स्वतंत्र बयनामे घोषित किये।

पंजीकरण – विक्रय की तरह ही विनिमय के लिए भी रजिस्ट्री आवश्यक है। एक सौ रूपये या उससे अधिक मूल्य की चल सम्पत्तियों का विनिमय बिना रजिस्ट्री के प्रवर्तनीय नहीं होगा। उ० प्र० में रजिस्ट्रेशन ऐक्ट संशोधित कर दिया गया है। अचल सम्पत्ति में सभी विलेखों की रजिस्ट्री अब आवश्यक है कीमत का अब कोई प्रश्न उत्तर प्रदेश में नहीं रह गया है। चाहे रजिस्ट्री की जाय या कब्जा अन्तरण करके विनिमय पूरा किया जाय, यदि अ तथा ब विनिमय करते हों, अ की सम्पत्ति 100 रू० की है जिसे वह 90 रू० की सम्पत्ति से बदलना चाहता है। क्या रजिस्ट्री आवश्यक होगी? प्रश्न है क्या विनिमय की दोनों सम्पत्तियों की मालियत 100 रू० से अधिक होने पर रजिस्ट्री आवश्यक है या दोनों सम्पत्तियों में से किसी एक की भी कीमत 100 रू० से कम ही क्यों न हो। विनिमय की रजिस्ट्री उन प्रत्येक मामलों में अनिवार्य होगी जिनमें चाहे एक सम्पत्ति की कीमत 100 रू० या सौ से अधिक हो या देनों की चाहे एक सम्पत्ति अचल हो या दोनों सम्पत्तियाँ अचल सम्पत्तियाँ हों और दोनों का मूल्य 100 रू० से कम हो तो विनिमय की रजिस्ट्री अनिवार्य नहीं होगी।

कब्जे को परिदान – विनिमय तत्य पर आधारित अन्तरण है। कागजी कार्यवाहियों से विनिमय पूर्ण नहीं होगा कब्जे का परिदान अनिवार्य तत्व हैं, क्योंकि विनिमय करार नहीं है बल्कि करार का

परिपालन होता है। कब्जे का वास्तविक अन्तरण की पर्याप्त होगा। कब्जे की अदला-बदला तभी विनिमय होगी यदि दोनों चल सम्पत्तियाँ हो जो 100 रू० से कम मूल्य की हो।

यदि कोई सम्पत्ति अमूर्त हो या दोनों अमूर्त हों तो रजिस्ट्री अनिवार्य होगी। रजिस्ट्री के बिना ऐसा विनिमय अवैध होगा। अनुयोज्य दावे का विनिमय इसके अन्तरण के तरीके के अनुसार ही होगा, जिसके अन्तरणकर्ता का अन्तरण करने का आशय से किया गया हस्ताक्षर पर्याप्त होगा, चाहे प्रभावित व्यक्तियों को उसे अन्तरण करने की सूचना हो या न हो।

भान सिंह बनाम नन्दूपाल जाट में सरस्वती एवं नन्दू ने अपने-अपने भूखण्ड बदल लिये सरस्वती ने बदले में पाये नन्दू के खेत को उसी के भाई गोवरधन को उसी दिन 2100 रू० में बेंच दिया। अपीलार्थी ने तर्क दिया कि सरस्वती एवं नन्दू के बीच संव्यवहार विक्रय था विनिमय नहीं। विनिमय का उसे रूपया इसलिये दिया गया ताकि हकशुफा का प्रयोग न हो सके। गुलमोहम्मद केस बनाम नारायन सिंह कैस में मत की भिन्नता के कारण भान सिंह का मामला फुलबेंच को निर्देशित किया गया पूर्णपीठ ने कहा कि यदि किसी दस्तावेज की दो व्याख्यायें सम्भव हो तो ऐसी व्याख्या स्वीकृत होगी जो हकशुफा को उत्साहित न करे। इस मामले में विलेख/संव्यवहार विनिमय माना गया।

विनिमय तथा अन्य संव्यवहारों में अंतर

(i) विनिमय तथा विक्रय – विनिमय तथा विक्रय समानान्तर एवं एक ही समान ही अन्तरण के ढंग हैं। दोनों के अन्तर सिर्फ यह है कि विनिमय में सम्पत्ति का अन्तरण सम्पत्ति के बदले होता है। मुद्रा को मुद्रा के बदले लिया जाता है; जैसे 1 रू० का पुराना नोट बदलकर 1 रू० का नया नोट लिया जाय। सम्पत्ति को सम्पत्ति + मुद्रा (औवल्टी) से बदला जा सकता है। परन्तु सम्पत्ति को मुद्रा-से अकेले कभी नहीं बदला जाता है। विक्रय के मामलों में सम्पत्ति को सदा मुद्रा से ही बदला जायेगा, जिसे कीमत कहा जाता है।

(ii) विनिमय तथा विभाजन – इन दोनों अवधारणाओं में निम्नलिखित भेद उल्लेखनीय हैं :-

(अ) अन्तरण सम्बन्धी – विनिमय में स्वामित्व का अन्तरण होता है; विभाजन में स्वामित्व का कोई अन्तरण नहीं होता। विभाजन विनिमय नहीं है इसी तरह पारिवारिक बन्दोबस्त भी विनिमय नहीं है।

(ब) अधिकार सम्बन्धी – विनिमय के द्वारा पक्षों को ऐसी नयी सम्पत्तियों में हित प्राप्त होते हैं जिनमें विनिमय पूर्व उन्हें कोई अधिकार नहीं प्राप्त होता, जबकि विभाजन में बँटवारे के पूर्व बाँटी जाने वाली सम्पत्ति में प्रत्येक हिस्सेदार को सम्मिलित एवं संयुक्त हित प्राप्त होता है जिसे विभाजन द्वारा पृथक् कर दिया जाता है।

पंजीकरण सम्बन्धी – अचल सम्पत्ति या 100 रू० या उसके ऊपर की मालियत वाली चल सम्पत्तियों का विनिमय पंजीकृत विलेख के बिना सम्भव नहीं है, जबकि विभाजन बिना लिखा-पढ़ी से भी हो सकता है परन्तु यदि विभाजन के बाद हिस्सों एवं शर्तों आदि की लिखा-पढ़ी हो चुकी हो तो अचल सम्पत्ति एवं 100 रू० या उसके ऊपर के मामले के बँटवारों की भी रजिस्ट्री आवश्यक होगी।

विनिमय कैसे किया जाता है – सम्पत्ति-अन्तरण अधिनियम के अन्तर्गत विनिमय का कोई विशेष ढंग नहीं दिया गया है। अधिनियम के अनुसार सम्पत्ति-अन्तरण अधिनियम की धारा 54 पैराग्राफ 2 में विक्रय के लिए निर्धारित ढंग विनिमय में लागू होंगे। विनिमय निम्नलिखित प्रकार किया जायेगा :-

(i) <u>अचल सम्पत्तियों का विनिमय</u> – अचल सम्पत्ति के प्रत्येक विनिमय में प्रपत्र की लिखा-पढ़ी एवं पंजीयन आवश्यक है। चाहे विनिमय की जाने वाली दोनों सम्पत्तियाँ अचल हों या अचल सम्पत्ति का विनिमय चल-सम्पत्ति से होना हो या अचल सम्पत्ति का विनिमय चल सम्पत्ति से होना हो या अचल सम्पत्ति का विनिमय किसी अचल या चल सम्पत्ति + मुद्रा से किया जाना हो। उ० प्र० में धारा 17 रजिस्ट्रेशन ऐक्ट संशोधित कर दी गई है। अचल सम्पत्ति का कोई भी अन्तरण बिना रजिस्ट्री नहीं हो सकती।

(ii) <u>चल सम्पत्तियों का विनिमय</u> – चल सम्पत्तियों का विनिमय इस प्रकार होगा – चलसम्पत्ति का विक्रय कब्जा परिदान द्वारा सम्भव है। रजिस्ट्री की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में तभी सम्भव है जब कि दोनों सम्पत्तियाँ चल हों। अगर अचल सम्पत्ति की अदला-बदली अचल से हो और दोनों एक ही विलेख द्वारा हो तो रजिस्ट्री अनिवार्य होगी।

(iii) <u>अमूर्त सम्पत्तियों या हितों आदि का अन्तरण</u> – ऐसे हितों का अन्तरण रजिस्ट्री के बिना अवैध है; अतः यदि उन्हें किसी सम्पत्ति से बदलना हो तो रजिस्ट्री अनिवार्य है भले ही दूसरी सम्पत्ति चल सम्पत्ति हो, या एक सौ रूपये से कम कीमत की अचल सम्पत्ति हो।

(iv) <u>अनुयोज्य दावे का विनिमय</u> – इस प्रकार दावे प्रपत्र के पृष्ठभाग पर अन्तरणकर्ता के हस्ताक्षर मात्र से अन्तरित हो सकते हैं; अतः इनकी अदला-बदली हस्ताक्षर मात्र से की जा सकती है।

AMBITION

अध्याय 10

दान के विषय में

सार-परिचय

⇒ धारा 122 'दान' की परिभाषा
  ⇒ प्रतिग्रहरण कब करना होगा?
    ⇒ प्रतिफल क्या है?
  ⇒ दाता कौन हो सकता है?
  ⇒ आदाता कौन हो सकता है?
⇒ स्वीकृति
⇒ धारा 123 अन्तरण कैसे किया जाता है?
⇒ धारा 124 वर्तमान और भावी सम्पत्ति का दान।
⇒ धारा 125 ऐसे कई व्यक्तियों का दान जिनमें से एक प्रतिगृहित नहीं करता है।
⇒ धारा 126 दान निलम्बित या प्रतिसंहृत कब किया जा सकेगा?
⇒ धारा 127 दुर्भर दान
⇒ सर्वस्व आदाता – सर्वस्व अदाता की विशेषता।

<u>धारा 122 "दान" की परिभाषा</u> – 'दान' किसी वर्तमान जंगम या स्थावर सम्पत्ति को वह अन्तरण है, जो एक व्यक्ति द्वारा जो दाता कहलाता है, दूसरे व्यक्ति को, जो आदाता कहलाता है, स्वेच्छया और प्रतिफल के बिना किया गया हो स्वेच्छया और प्रतिफल के बिना किया गया हो और आदाता द्वारा या की ओर से प्रतिगृहीत किया गया हो।

<u>प्रतिग्रहण कब करना होगा?</u> – ऐसा प्रतिग्रहण दाता के जीवन-काल में और जब तक वह देने के लिए समर्थ हो, करना होगा। यदि प्रतिग्रहण करने से पहले आदाता की मृत्यु हो जाती है तो दान शून्य हो जाता है।

(i) <u>प्रतिफल (रूपया) की अनुपस्थिति</u> -प्रत्येक संविदा बिना प्रतिफल के अप्रवर्तनीय मानी जाती है। क्या दान संविदा है? क्या दान में किसी भी प्रकार का प्रतिफल नहीं होता? क्या दान के लिए उपलक्ष्य (मोटिव) किसी स्थिति में भी प्रतिफल कही जा सकती है? वस्तुतः दान के विषय में यह विचित्र तथ्य है कि दान संविदा भी है। परन्तु प्रतिफल भी आवश्यक नहीं है। क्या दान बिना प्रतिफल के संविदा है? क्या संविदा अधिनियम एवं सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृत प्रतिफल के अर्थ भिन्न-भिन्न हैं।

<u>प्रतिफल क्या है</u> – सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिफल का अर्थ संविदा अधिनियम की ही भांति है। प्राकृतिक लगाव, प्रेम आध्यात्मिक या नैतिक भौतिक उपलब्धि की कामना आदि को प्रतिफल नहीं कहा जा सकता है। अतएव इन कारणों पर आधारित दान बिना प्रतिफल के ही होने वाला संव्यवहार माना जायेगा। प्रतिफल को अन्तकरणकर्ता की इच्छा पर संविदा के दूसरे पक्ष या उसके स्थान

पर अन्य किसी तृतीय व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला आचरण होता है। ऐसा आचरण चाहे स्वीकारात्मक हो या नकारात्मक, मूर्त हो या अमूर्त, वर्तमान में हो या भविष्य में किया जाना हो। दान के संव्यवहार में दाता बदले में किसी भी प्राप्ति की इच्छा नहीं करता। उसकी इच्छा आदाता को सम्पत्ति देने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं होती।

दान का उपलक्ष्य प्रतिफल नहीं माना जाता है; उदाहरणार्थ :-

(अ) अ ने ब को अपना मकान इसलिए दान कर दिया क्योंकि ब ने अन्त समय में उसकी सेवा की थी। दान वैध है।

(ब) क ने ख को अपनी सारी गृहस्थी दान कर दी क्योंकि क, ख से शादी करना चाहता हैं। भले ही शादी शून्य घोषित कर दी गई हो, परन्तु दान अवैध नहीं है।

सशर्तदान - दान में शर्त नहीं होती। शर्त अवैध है दान वैध है। गौराचन्द्र मुकर्जी बनाम मालवीय दत्ता में इस प्रश्न पर विचार किया गया एक दान पत्रवादी के पिता के पक्ष में लिखा गया। आदाता पर शर्त थी कि दाता की भांजी के जीवनकाल तक सम्पत्ति का विक्रय नहीं कर सकेंगे। न्यायालय न कहा कि आदाता पर पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता है। न्यायालय ऐसे प्रतिबन्ध को मान्यता नहीं देती। न्यायालय यह मानकर निर्णय लेगी कि इस प्रकार का प्रतिबंध अवैध है और उससे दान पाने वाला प्रतिबन्धित नहीं है। आदाता सम्पत्ति का अन्तरण कर सकता है।

प्रतिफल तथा आशय या हेतु मे अंतर - आशय या हेतु सहित दान वैध है परन्तु सप्रतिफल दान शून्य होगा। अतएव प्रतिफल एवं उपलक्ष्य बिल्कुल पृथक-पृथक अवधारणाएँ हैं। न्यायालीय निर्णयों में भी इस प्रकार की समस्या प्रत्यक्षतः नहीं उठी है। प्रतिफल किसी भी करार का प्रत्यक्ष आधार होता है जिसको वापस कर लेने के बाद करार की स्थिति ही खतरे में पड़ जाती है। संविदा शून्य हो जायेगी परन्तु आशय सम्बन्धित करार के बाहर की वस्तु है जिसकी स्थिति सामान्यतः कानूनी मामलों में विचारणीय नहीं होगी। किसी करार में प्रतिफल न होने पर संविदा शून्य हो जायेगी। प्रतिफल गैरकानूनी होने पर संविदा शून्य होगी परन्तु हेतु या आशय का प्रभाव करार पर नहीं पड़ेगा। आशय कैसा भी हो रहा हो, संव्यवहार का कानूनी अस्तित्व सामान्यतः अप्रभावित ही रहेगा। किसी भी करार में प्रतिफल निश्चित होगा परन्तु एक ही समझौते के लिए स्पष्ट एवं अस्पष्ट, निश्चित एवं अनिश्चित अनेक हेतुओं की स्थिति चमत्कारिक नहीं मानी जा सकेगी। दान दाता की उदारता की परिचायक मात्र होता है। प्रतिफल के लिये ऐसा अन्तरण आदाता द्वारा अभ्यारोपित किसी वैधानिकता की पूर्ति या आदाता पर किसी वैधानिक दायित्व का अभ्यारोपण के रूप में होना आवश्यक हैं अर्थात् प्रतिफल की उपस्थित तभी मानी जायेगी यदि अन्तरण द्वारा दाता के किसी प्राची जिम्मदारी, कार्य कया दायित्व की संतुष्टि हो रही हो या किसी नये अधिकार दाता की उसके पक्ष में सृष्टि हो रही हो अन्यथा लक्ष्य प्रतिफल नहीं होगा। दान ऐसा कार्य है जिसे आदाता को स्पष्ट लाभ हो उसकी जायदाद में वृद्धि हो परन्तु जिसे वह कानूनन न तो माँग सकता था और जिसे वापस करने के लिए उसे कानूनन बाध्य भी नहीं किया जा सकता है।

जी० जे० रेड्डी बनाम एम० पदमावथम्मा, में प्रश्न यह था कि बहन या बेटी को विवाह के समय या बाद अचल सम्पत्ति का अन्तरण (पशुपु कुमकुमा) दान है या नहीं इसकी रजिस्ट्री अनिवार्य है या नहीं खण्डपीठ ने वी० एन० संतोष राय बनाम स्पेशल तहसीलदार में ऐसे अन्तरण की रजिस्ट्री अनिवार्य नहीं माना क्योंकि यह इच्छा के विपरीत होता है। और सप्रतिफल होता है। इस मामले में धारा 122 नहीं लागू होगी। रेड्डी के मामले में पूर्णपीठ ने खंडपीठ के इस विचार को विधि सम्मत नहीं पाया। इसे निरस्त करते हुए यह व्यवस्था दी कि ऐसे सभी अन्तरण दान माने जायेंगे और उनकी रजिस्ट्री अनिवार्य है ऐसे मामलों में प्यार व लगाव प्रतिफल है।

(ii) पक्ष - दान संव्यवहार में अन्य अन्तकरणों की भांति ही दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष सम्पत्ति देता

है जिसे दाता कहा जाता है; द्वितीय पक्ष सम्पत्ति लेता है, उसे आदाता कहा जाता हैं।

दाता कौन हो सकता है? – संविदा की तरह ही दान संव्यवहार में दाता के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिये :–

(अ) दाता बालिग हो।

(ब) दाता शुद्ध मस्तिष्क का हो।

(स) दाता किसी अन्य विवशता या अक्षमता का शिकार न हो जो कि किसी स्थानीय व्यवस्था द्वारा उस पर अभ्यारोपित हो; जैसे – दिवालिया आदि न हो।

(द) दाता दान दी जाने वाली सम्पत्ति का स्वामी हो या सम्पत्ति के असली स्वामी से दान करने की आज्ञा रखता हो।

आदाता कौन हो सकता है – आदाता की निम्न विशेषताएँ हैं :–

(अ) आदाता को बालिग, शुद्ध मस्तिष्कीय एवं सक्षम व्यक्ति होना चाहिये, क्योंकि दान में आदाता की स्वीकृति निर्णायक तथ्य होती है, अथवा

(ब) आदाता की तरफ से कोई अन्य ऐसी व्यक्ति स्वीकृति देने के लिए उपलबंध हो जिसमें उपर्युक्त शर्तें विद्यमान हों तथा जो आदाता की तरफ से स्वीकृति देने के काबिल हो; जैसे – नाबालिग आदाता की स्थिति में, उसके अभिभावक, माता-पिता या न्यासधारी अथवा न्यायालय या अन्य कोई सक्षम व्यक्ति।

(स) दान की तिथि पर आदाता की स्थिति अत्यन्त अनिवार्य है। स्थिति चाहे गर्भस्थ शिशु, नाबालिग उन्मत्त, जड़ आदि जिस रूप में हो। भिन्न स्थिति वाले आदाता के लिए किया जाने वाला दान सम्पत्ति–अन्तरण अधिनियम के अन्तर्गत वैध अन्तरण नहीं होगा। दान की तिथि पर मृतक आदाता के प्रतिनिधि मृतक की तरफ से वैध स्वीकृति नहीं दे सकते।

(द) आदाता या तो निश्चित व्यक्ति होना चाहिये या निश्चेय होना चाहिये। सम्पूर्ण जगत को किया जाने वाला दान शून्य होगा।

के० बालकृष्णन बनाम के० कमालम में प्रश्न था कि कब्जा व उपभोग अपने पास सुरक्षित रखते हुये केवल स्वामित्व का दान नाबालिग व्यक्ति को हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमें में कहा कि न तो सम्पत्ति अन्तरण की धारा 5 और न धारा 6 और न धारा 122 में ऐसी कोई व्यवस्था है जिसमें यह कहा गया है कि केवल स्वामित्व के अधिकार का अन्तरण नहीं हो सकता और यह भी कहीं कहा गया है कि नाबालिग को सम्पत्ति अन्तरण नहीं किया जा सकता है। अतः माता द्वारा नाबालिग बच्चे को दान दी गई सम्पत्ति सर्वथा सही है। लड़का इस मामले में 16 साल का था अतः दान की विवक्षित सहमति मान ली गई आदाता को कब्जा न दिया जाना, दान में मिली सम्पत्ति पर स्वामित्व के अधिकारों का प्रयोग न कर पाना, या दान में प्राप्त सम्पत्ति का बालिग हो जाने पर भी आदाता के नाम से खारिज दाखिल न हो पाना आदि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिससे दान की विवक्षित सहमति मानने में कोई बाधा हो।

सुप्रीम कोर्ट ने धारा १२७ के अंतिम पैराग्राफ की स्थिति में स्पष्ट करते हुये पाया कि नाबालिग दान स्वीकार करने में पूरी तरह सक्षम है। भले ही बालिग हो जाने पर वह ऐसे दान व ऐसे दान के उस भाग को जो उस पर अनचाहा दायित्व थोपता है उसे इंकार कर दे। इतना स्पष्ट कर दिया गया कि ऐसा दान महज इस आधार पर विखण्डित नहीं किया जा सकता है कि नाबालिग की स्पष्ट सहमति नहीं थी।

पिता द्वारा पूर्वजीय सम्पत्ति में अंशमान का पुत्री या दामाद को दान – आर० कुप्पई बनाम राजा गोन्डर में पिता ने विवाह के वाद पूर्वतीय सम्पत्ति में एक भाग दान पुत्री को कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध दान माना। एक पुरानी नजीर अनितिला सुन्दरय्या बनाम चेरला सिथम्मा, का जिक्र करते हुये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दान चाहे दामाद को किया जाय या पुत्री को शादी के समय

हो या बाद में हो अगर पूर्वतीय सम्पत्ति के एक भाग का है तो वैध रहेगा।

सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम एवं गिफ्ट टैक्स ऐक्ट – गिफ्ट टैक्स ऐक्ट की धारा 4 में यह बताया गया है कि इस अधिनियम में गिफ्ट कुछ ऐसे अन्तरणों को भी टैक्स के लिये गिफ्ट मानती है जो सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 122 में दान नहीं भी हो सकती है जैसे दान भले ही प्रतिफल के एवज में हो परन्तु यदि ऐसी सम्पत्ति की मालियत प्रतिफल से अधिक हो या परिस्थिति विशेष में प्रतिफल है तो पूरा न दिया गयाहो आंशिर न दिये जाने का इरादा हो या जब किसी कर्ज संविदा या अनुयोज्य दावे का समर्पण उन्मोचन सरेन्डर, फारफीचर के बदले में किया गया हो या किसी अधिकार के संदर्भ में निहित की गई हो। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनाम सिरेहमल नौ लखा में किसी मकान के आउट हाउस जो मुख्य इमारत से सम्बद्ध था पति ने पत्नी को दान किया प्रश्न था कि इसे दान माना जाय या नहीं। इसे दान माना गया। गिफ्ट टैक्स ऐक्ट में दान की परिभाषा व्यापक है। ऐसे मामलों में हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री आवश्यक नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने इसे उलट दिया गिफ्ट टैक्स ऐक्ट से सामान्य विधि निरस्त नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऐक्ट व सम्पत्ति अन्तरण विधि लागू होगी। पति बिना रजिस्ट्री दान नहीं कर सकता है।

मुसलमान द्वारा हिन्दू को दान – मुस्लिम विधि का दान सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के दायरे से बाहर है। इसी तरह यदि कोई मुसलमान हिन्दू को सम्पत्ति दान दे तो मुस्लिम विधि लागू होगी और संव्यवहार की रजिस्ट्री आदि अनिवार्य नहीं होगी। दान कब्जा देकर वैधरूपेण हो जायेगा। जहाँ पक्षकार मुस्लिम है और दस्तावेज यह परिवर्णन करने वाला है कि उसके तीन भाइयों एवं निष्पादकों को निष्पादक द्वारा प्रदान किये गये किसी मकान पर निष्पादक का कोई अधिकार नहीं है और जहाँ 'दान' शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, वहाँ ऐसा दस्तावेज, करार को एक करार है, न कि यह दान दस्तावेज है।

न्यास द्वारा दान – न्यास द्वारा दान किया जा सकता है, यद्यपि कि जिसे दान दिया जा रहा हो। वर्तमान न हो। न्यासधारियों का बीच में आ जाना ऐसे संव्यवहार को सम्भव बना देगा।

(iii) स्वीकृति

स्वीकृति कब तक दे दी जानी चाहिये? – स्वीकृति का दान के समय ही आदाता द्वारा किया जाना अनिवार्य नहीं है। स्वीकृति दाता के जीवन के बीच किसी भी समय दी जा सकती है दाता की मृत्यु के बाद दी जाने वाली स्वीकृति मान्य नहीं होती और ऐसी स्थिति में दान शून्य घोषित कर दिया जाता है। स्वीकृत्ति की अवधि निम्न तत्वों पर निर्भर होगी :-

(अ) स्वीकृति दाता के जीवन भर में ही हो जानी चाहिये, या

(ब) स्वीकृति तब तक अवश्य हो जानी चाहिये जब तक दाता की अन्तरण करने की क्षमता विनष्ट न हुई हो।

(स) स्वीकृति दिये बिना यदि आदाता की मृत्यु हो गई हो तो दान शून्य होगा।

स्वीकृति किसी प्रकार होनी चाहिये – स्वीकृति वस्तुतः तथ्यों पर आधारित एक प्रामाणिकता है। दान के लिए प्रत्येक स्थिति में स्पष्ट स्वीकृति अनिवार्य नहीं होती। आदाता की स्वीकृति उसके कब्जा ले लेने की घटना, दान विलेख का परिदान, रजिस्टर में खारिज–दाखिल आदि से विवक्षित मानी जा सकती है।

गोराचन्द बनाम मालविका में वादी ने प्रतिवादी/अपीलकर्ता वादग्रस्त सम्पत्ति पर कब्जा पाने के लिये वाद दायर किया था। वादी ने पिता को यह सम्पत्ति बजरिये दान मिली थी। इसी सम्पत्ति में प्रतिवादी की माँ को जीवनभर रहने का भी अधिकार इसी दान पत्र द्वारा मिला था। वादी के पिता की मृत्यु हो गई। उसकी विधवा पुत्र व पुत्री बचे। विधवा व पुत्र ने अपना हित पुत्री को बेच दिया। प्रतिवादी की माँ मर गई तो वादी की पुत्री मालविका ने प्रतिवादीगण को सम्पत्ति खाली करने की नोटिस दी और मुकदमा दायर कर दिया। उसे मुंसिफ कोर्ट से डिक्री मिली। प्रथम अपील में भी मुंसिफ का फैसला

बहाल रहा। हाई कोर्ट में प्रश्न था कि क्या दान की स्वीकृति थी? पैरा 34 में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया कि स्वीकृति पर्याप्त थी क्योंकि अपने स्वामित्व की (अ) के लिये आदाता ने मुकदमा चलाया, उसके नाम खारिज दाखिल थी, दान विलेख उसके कब्जे में था। जो उस दाता द्वारा दिया गया था धारा 122 की सभी शर्तों पूरी थी। सम्पत्ति में प्रयोग पर लगी सभी शर्तें धारा 10 व 11 द्वारा शून्य थी।

<u>स्वीकृति विलेख की रजिस्ट्री के समय आवश्यक नहीं है</u> – स्वीकृति की स्थिति उस समय आवश्यक है जबकि दान दिया जा रहा हो या दिया जा चुका हो या विलेख के पूर्व स्वीकृति हो। रजिस्ट्री के समय स्वीकृति दान के लिए अनिवार्य नहीं होगी। इतना ही नहीं, यदि स्वीकृति विलेख के पूर्व हो तो भी धारा के अनुसार पर्याप्त होगी। यदि आदाता ने दान लेना स्वीकार किया हो और उसकी हठ पर विलेख तैयार कराये गये हों तो शर्त पूरी मानी जायेगी विलेख पर स्वीकृति पुनः नहीं चाहिए।

इतना आवश्यक है कि दाता की मृत्यु के पूर्व या जब दाता में दान करने की क्षमता हो तब तक दान प्रतिगृहीता हो जाना चाहिये। और यदि दानगृहीता दान का प्रतिग्रहण करने के पूर्व ही मर जाता है तो वहाँ वैध दान की कल्पना नहीं की जा सकती।

<u>अल्पवयस्कों द्वारा दान का सत्यापन</u> – जहाँ दान-विलेख का सत्यापन 2 अवयस्क गवाहों द्वारा किया गया था और जो व्यक्ति अवयस्कों की ओर से दान को स्वीकार कर रहा था उसने दान-विलेख पर दान की स्वीकृति के पक्ष में अपना अँगूठा लगाया था। यह अभिनिर्धारित हुआ कि दान पूर्ण था।

<u>सहमति के सम्बन्ध में अवधारणा</u> – <u>कामाक्षी अम्माल बनाम राजलक्ष्मी</u> में पिता ने पुत्री ने दान स्वीकार किया। पुत्री ने सम्पत्ति से उद्भूत आय पिता के उपभोग में लगा दिया। इस तरह पुत्री की ओर से पिता के पास सम्पत्ति का कब्जा व उपयोग में लगा दिया। इस तरह पुत्री की ओर से पिता के पास सम्पत्ति का कब्जा व प्रयोग बना रहा। पुत्री की सहमति सही मानी गई। न्यायाल ने कहा कि जब दस्तावेज में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सम्पत्ति पर कब्जा आदाता को दिया गया हो आदाता की सहमति मान ली जायेगी।

(iv) <u>पंजीकरण</u>

<u>दाता के हस्ताक्षर</u> – दान-विलेख पर अन्तरणकर्ता दाता के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं परन्तु यदि दाता हस्ताक्षर करने योग्य न हो जैसे कम्पनी आदि या किसी अन्य कारणवश हस्ताक्षर न कर सकता हो तो उसके एजेन्ट या अन्य व्यक्त द्वारा किया गया दान-विलेख पर हस्ताक्षर पर्याप्त होगा। बिना हस्ताक्षर के दान वैध नहीं होगा। हस्ताक्षर शब्द के अन्तर्गत अँगूठे की निशानी या अन्य मशीन भी शामिल हैं जो दाता या उसके प्रतिनिधि के द्वारा भी हो सकती है।

<u>कम से कम दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणन</u> – अनुप्रमाणन की विधि एवं परिभाषा धारा 3 में दी गई है। यदि अनुप्रमाणन न हो या किसी एक ही व्यक्ति द्वारा हो तो वह वैध अनुप्रमाणन नहीं होगा। अनुप्रमाणन में 'उद्देश्य' (एनीमस अटेस्टेन्डाई) होना आवश्यक है। अनुप्रमाणन का कोई तरीका नहीं है परन्तु इससे इतना आशय स्पष्ट हो जाना चाहिये कि उसने अनुप्रमाणन इस उद्देश्य से किया है कि दान-विलेख पर दाता ने उसके सामने हस्ताक्षर किया या पहले से ही किये हस्ताक्षर की स्थिति स्वीकार की या दाता के आदेश पर या निर्देश पर किसी अन्य को उसके स्थान पर हस्ताक्षर करते, अंगूठा लगाते या अन्यथा निशान बनाते देखा है।

<u>सुरेन्द्र कुमार बनाम नत्थू लाल</u>, के वाद में अचल सम्पत्ति का दान किया था। दान विलेख पंजीकृत तथा दाता द्वारा हस्ताक्षरित था और विलेख साक्षीगण द्वारा अभिप्रमाणित भी था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसा दान वैध है। दाता ने विनिर्दिष्ट रूप से दान विलेख का अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित किया जाना स्वीकार किया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दान विलेख सम्यक्रूपेण साबित था भले ही किसी एक अनुप्रमाणन साक्षी को इसके निष्पादन को साबित करने के लिए नहीं बुलाया गया है।

<u>धारा 68 इण्डियन एवीडेन्स एवं अनुप्रमाणन</u> – धारा 68 में यह व्यवस्था है कि यदि सिकी

दस्तावेज में अनुप्रमाणन जरूरी है तो इस दस्तावेज को तब तक बतौर साक्ष्य नही माना जायेगा जब तक अनुप्रमाणन करने वाले गवाहों में कम से कम एक ने निष्पादन साबित न किया हो। यदि ऐसे गवाहों में से कोई जीवित हो और गवाही देने लायक हो। परन्तु यदि दस्तावेज की रजिस्ट्री हो चुकी हो तो ऐसे गवाह की अनिवार्यता नहीं होगी जब तक कि निष्पादक ने निष्पादन का होना इंकार न कर दिया हो। सुरेन्द्र कुमार बनाम नाथू लाल में सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर विचार किया और पाया कि रजिस्टर्ड दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य होगा। इस मामले में चन्दाबाई तीन तल की इमारत की मालकिन थी तीसरे तल के दो कमरों का बन्धक उसने ऐस को कर दिया कब्जा दे दिया एस ने वही सम्पत्ति पी को बन्धक कर दिया पी ने पुनः उसे न को बन्धक कर दिया न ने इमारत को गिराकर निर्माण करना चाहा। एस ने मुकदमा दायर किया और सुखाधिकार की माँग की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने माना कि दान विलेख का निष्पादन साबित नहीं हुआ क्योंकि अनुप्रमाणन का गवाह का परीक्षण नहीं हुआ। भले ही दस्तावेज लिखा जाना चन्दा बाई नेस्वीकार किया था हाई कोर्ट ने द्वितीय अपील यह कहते हुये खारिज कर दिया गया कि मामले में कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम अपील व होई कोर्ट के फैसले को सही नहीं माना बल्कि परीक्षण न्यायेलय को सही माना। अतः दान वैध कहा गया ।

कब्जे का अन्तरण या परिदान - धारा 122 सभी प्रकार की सम्पत्तियों के दान के बारे में व्यवस्था देती है। अतएवं चल सम्पत्तियों के बारे में भी व्यवस्था इसी धारा में दी गई है। चल सम्पत्तियों का दान कब्जा देकर भी कहा जा सकता है जिसमें न लिखा-पढ़ी की आवश्यकता होगी और न रजिस्ट्री की या न अनुप्रमाणन की ही आवश्यकता होगी। इस प्रकार की व्यवस्था मुस्लिम विधि में भी है। अंचल सम्पत्ति के दान में कब्जा देना आवश्यक नहीं है।

मौखिक दान - सम्पत्ति-अन्तरण अधिनियम में अचल सम्पत्ति के मौखिक दान का कोई स्थान नहीं है। मुसलमानों के बीच ऐसा दान सभी चल एवं अचल सम्पत्तियों का हो सकता है। मुस्लिम विधि में कब्जा अनिवार्य है। मुस्लिम लोग यदि चाहें तो अधिनियम के तरीके से भी दान कर सकते हैं। परन्तु ऐसे मामलों में भी कब्जा नितान्त आवश्यक रहेगा। अधिनियम के अन्तर्गत यह व्यवस्था चल सम्पत्ति के दान तक सीमित है।

वसुदेव रामचन्द्र बनाम प्राण लात नयनन्द नामक मामले में दान सम्बन्धि विधि का स्पष्टीकरण उच्चतम न्यायालय ने किया। उत्तम राम नामक एक वकील की पत्नी ने इच्छापत्र के अधीन किसी कम्पनी में कुछ शेयर प्राप्त किया। वकील की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने इन अनेक शेयरों का दान अपने भाई रामचन्द्र को कर दिया। दान में रजिस्ट्रीकृत विलेख द्वारा निष्पादित हुआ। पत्नी की मृत्यु हो गई परन्तु मृत्यु के पूर्व उसने कई रिक्त अन्तरणपत्रों पर भी हस्ताक्षर किये जिसका तात्पर्य था कि अनेक अन्य जंगम (चल) सम्पत्तियों के लिए वे भरे जा सकें।

पत्नी की मृत्यु के पूर्व शेयरों का अन्तरण कम्पनी के रजिस्टरों में अंकित नहीं किया जा सका था; अतः कम्पनी अधिनियम के अनुसार शेयर का अन्तरण पूर्ण नहीं था। प्रश्न यह था कि अन्तरण की पूर्णता एवं वैधता किस अधिनियम के अनुसार आँकी जाय सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम में ह्यन के सिद्धांत द्वारा या कम्पनी विधि में शेयर के अन्तरण होने की प्रक्रिया द्वारा?

उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि निस्संदेह सम्पत्ति-अन्तरण अधिनियम पूर्ण नहीं है। यह ऐसी प्रत्येक सम्पत्ति के अन्तरण का उल्लेख नहीं करता जिसे विधि अनुज्ञात करती है.. कम्पनी का शेयर निश्चित रूप से एक प्रकार की सम्पत्ति है। कम्पनी अधिनियम, 1913 की धारा 28 यह कहती है कि वे कम्पनी के अनुच्छेदों द्वारा उपबंधित रीति में अन्तरणीय जंगम सम्पत्ति होंगे। सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 6 में सम्पत्ति की व्यापक परिभाषा के अन्तर्गत अन्तरणीय रूप में शेयर जंगम सम्पत्ति ही नहीं आते अपितु इनके अन्तर्गत सम्पत्ति के पृथक् रूप में ऐसे शेयर प्राप्त करने का अधिकार भी आता है जिनका स्वतंत्र अन्तरण सम्भव है। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि दान-विलेख के

रजिस्ट्रीकरण के अभाव में भी आदाता को दान करने के स्पष्ट आशय से (शेयर प्रमाणपत्र आदि) दस्तावेजों का परिदान आदाता को जंगम सम्पत्ति में पूर्ण और अप्रतिसंहरणीय अधिकार प्रदान करने के लिए पर्याप्त होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम लागू माना जिसके अनुसार दान पूर्ण एवं वैध था।

बेबी अम्माल बनाम राजानरारी में किसी सम्पत्ति में उपभोग के सारे अधिकार एवं मकान में रहने का अधिकार अपनी जिन्दगी भर अ ने अपने पास रखा और अपने जीवन के बाद समस्त अधिकार ब को दे दिया था। कब्जा व स्वामित्व दोनों दाता के पास रहे। आदाता की स्वीकृति का मौका नहीं आया। ऐसी स्थिति में दान का प्रश्न नहीं है। अधिक से अधिक यह संव्यवहार लाइसेन्स था।

चल सम्पत्ति का दान – पंजीकृत विलेख एवं कब्जा परिदान दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके से चल सम्पत्ति दान की जा सकती है। परन्तु ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि चल सम्पत्तियों के दान को पंजीयन असुविधाजनक साबित हो रहा है; अतः यदि इस विकल्प को समाप्त करने की बात सोची जाये तो दो विकल्प हो सकते हैं :- (i) बिना रजिस्ट्री के ही विलेख द्वारा दान, (ii) एजेन्ट या प्रतिनिधि द्वारा कब्जा प्राप्ति एवं स्वीकृति देने की व्यवस्था।

दान पत्र के विश्लेषण पर निर्णय किया गया कि वह पूर्ण दान नहीं है तथा सशर्त दान है। अतः वह दानदाता द्वारा रद्द किया जा सकता है।

दान किस तिथि से प्रभावपूर्ण होता है? – दान उसी तारीख से प्रवर्तनीय हो जाता है जिस समय पूर्णतः हस्ताक्षरित एवं अनुप्रमाणित विलेख आदाता या उसके प्रतिनिधि द्वारा स्वीकृति हो जाता है। रजिस्ट्री की तारीख दान के प्रवर्तन के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है; उदाहरणार्थ :- अ ने 9 सितम्बर को अपनी जायदाद ब को दान कर दी। 10 सितम्बर को अ ने स को गोद लिया। 15 सितम्बर को हिबानामे की रजिस्ट्री कराई गई। क्या स को अ की उपर्युक्त जायदाद मिल सकेगी? ब को किया गया दान वैध है; अतएव स को जायदाद नहीं मिलेगी।

दान तथा विक्रय में अंतर – दान तथा विक्रय में अन्तर प्रमुखता प्रतिफल से सम्बन्धित है। दान में प्रतिफल नहीं होता। विक्रय का प्रतिफल कीमत कहलाता है। यही अन्तर दान तथा विनिमय में होगा।

दान तथा वसीयत में अन्तर – दान भविष्य में प्रवर्तनीय हो सकता है ऐसी स्थिति में इसे वसीयत से अलग रखना विचारणीय होता है। इन दोनों के समान्तर संव्यवहारों का भेद विलेख के नाम, पंजीकरण, खंडन करने की क्षमता तथा वर्तमान तथा भविष्य काल के प्रयोग के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। यद्यपि कि इन मापदंडों में कोई एक या दो की स्थिति निर्णायक नहीं होगी।

धारा 123 अन्तरण कैसे किया जाता है – स्थावर सम्पत्ति के दान के प्रयोजन के लिए वह अन्तरण दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित और कम से कम दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा करना होगा। जंगम सम्पत्ति के दान के प्रयोजन के लिए अन्तरण या तो यथा पूर्वोक्त प्रकार से हस्ताक्षरित रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा या परिदान द्वारा, किया जा सकेगा। ऐसा परिदान उसी प्रकार से किया जा सकेगा जैसे बेचा हुआ माल परिदत्त किया जा सकता हो।

चल सम्पत्ति का दान :-

(अ) पंजीकृत विलेख द्वारा सम्भव है, या

(ब) कब्जा परिदान द्वारा सम्भव है,

(स) कब्जे का परिदान उसी प्रकार होगा जैसा कि बिकी हुई सम्पत्ति का अन्तरण किया जाता है।

अन्तरण की निम्नलिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं :-

(अ) दान कानूनन पूर्ण होना चाहिये। किसी भी दान की वैधता के लिए उसका पूर्ण होना आवश्यक है। यदि दान पूर्ण न हो तो न्यायालय इसे डिक्री द्वारा पूर्ण नहीं करा सकता।

(ब) दान स्वामित्व का पूर्ण अन्तरण करता है। दान की जाने वाली सम्पत्ति का पूर्ण स्वामित्व दाता से आदात में निहित हो जाता है। इस प्रक्रिया के विरोध में कोई भी सीमा शून्य होगी।

(स) अन्तरण बिना शर्त होना चाहिये।

एम० सी० डिसूजा व अन्य फर्नांडीज एवं अन्य के वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दान एक दस्तावेज पर होता है जिसमें दो प्रमाणन साक्षीगण की अपेक्षा होती है। जहाँ ऐसा कोई सबूत नहीं होता है कि विवादित दान विलेख दो साक्षीगण द्वारा अभिप्रमाणित थी वहाँ दान विलेख अवैध होता है।

'स्वेच्छया' अन्तरण क्या है? – दान के सिलसिले में किये जाने वाले अन्तरण को स्वेच्छा से किया जाना दान की प्रथम शर्त है। स्वेच्छा का संकेत संविदा को शून्य करने का प्रभाव रखने वाले तत्वों जैसे कपट, जबर्दस्ती, भूल व्यपदेशन आदि से है।

स्थावर सम्पत्ति का दान यथाविधि हस्ताक्षरित, अनुप्रमाणित और रजिस्ट्रीकृत तथा उसके आदाता द्वारा स्वीकृत विलेख द्वारा ही किया जा सकता है। अरजिस्ट्रीकृत केस और उसके क्रियान्वयन मात्र से विधि की दृष्टि में दान प्रभावी नहीं माना जायेगा।

बृजराज सिंह व अन्य बनाम सेवक राम व एक अन्य के वाद में दान विलेख की वैधता के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न हो गया था। इस मामले में विवादित दान विलेख एक पंजीकृत विलेख था। इसके निष्पादन या प्रमाणन के सम्बन्ध में कोई भी विनिर्दिष्ट आपत्ति नहीं की गई थी। दो अनुप्रमाणन साक्षियों में से एक साक्षी की विलेख को साबित करने के लिए परीक्षा की गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसे (दान) साबित करने के लिए पर्याप्त ठहराया था। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित करने के लिए कि दान विलेख साबित नहीं था, प्रतिवादीगण को अनुज्ञात करना अनुचित होगा।

धारा 124 वर्तमान और भावी सम्पत्ति का दान – जिस दान में वर्तमान और भावी सम्पत्ति दोनों समाविष्ट हो, वह भावी सम्पत्ति के विषय में शून्य है।

व्याख्या

अधिनियम की धारा 124 में वर्तमान तथा भविष्य में प्राप्त होने वाली सम्पत्तियों का मिश्रित दान अंशत वैध माना गया है। दान केवल भविष्य में आने वाली सम्पत्तियों के लिए अवैध होगा वर्तमान सम्पत्तियों के सिलसिले में दान वैध एवं प्रवर्तनीय रहेगा। उदाहरणार्थ अ ने ब को 40 कुर्सियों का दान दिया जिनमें 20 कुर्सियाँ तो निर्मित एवं तैयार थी। शेष 20 कुर्सियों का बनाना शेष था। प्रश्न था कि क्या 40 कुर्सियों का दान वैध था? अधिनियम की धारा 124 के अनुसार बीस कुर्सियों को दान वैध होगा तथा अवशिष्ट बीस कुर्सियों के लिये दान अवैध होगा।

धारा 125 ऐसे कई व्यक्तियों को दान, जिनमें से एक प्रतिगृहीत नहीं करता – ऐसे दो या अधिक आदाताओं को किसी चीज का दान जिनमें से एक उसे प्रतिगृहीत नहीं करता है, उस हित के सम्बन्ध में शून्य है जिसे यदि वह प्रतिगृहीत करता तो वह लेता।

धारा 126 दान निलम्बित या प्रतिसंहृत कब किया जा सकेगा? – दाता और आदाता करार कर सकेंगे कि किसी ऐसी विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर, जो दाता की इच्छा पर निर्भर नहीं करती, दान निलम्बित या प्रतिसंगत हो जायेगा, किन्तु वह दान, जिसके बारे में पक्षकार करार करते हैं कि वह दाता की इच्छा मात्र से पूर्णतः या भागतः प्रतिसंहरणीय होगा, यथास्थिति, पूर्णतः या भागतः शून्य है। दान उन दशाओं में से (प्रतिफल के अभाव में असफलता की दशा को छोड़कर), किसी भी दशा में प्रतिसंहृत किया जा सकेगा जिनमें कि यदि वह संविदा होता तो विखण्डित किया जा सकता। यथापूर्वोक्त को छोड़कर दान प्रतिसंहृत नहीं किया जा सकता। इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात बिना सूचना सप्रतिफल अन्तरितियों के अधिकारों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जायेगी।

दृष्टांत

(क) ख को क एक खेत ख की अनुमति से अपना यह अधिकार आरक्षित करके देता है कि ख और उसके वंशजों के क के पहले मर जाने की सूरत में वह उसे वापस ले सकेगा। क के जीवन काल में ख अपने वंशज छोड़े बिना मर जाता है। क खेत वापस ले सकेगा। (ख) ख को

क एक लाख रूपया, ख की अनुमति से अपना यह अधिकार आरक्षित करते हुए देता है कि वह उन लाख रूपयों में से 10,000 रूपये जब जी चाहे वापस ले सकेगा। 90,000 रूपयों के बारे में दान वैध है, किन्तु 10,000 रूपयों के बारे में, जो क के बने रहते हैं, शून्य है।

व्याख्या

दान की प्रतिसंहरण – धारा 126 में 4 छोटे-छोटे पैरग्राफ हैं। पहले पैरग्राफ में कहा गया है कि दाता की इच्छा पर दान का विखंडन नहीं हो सकता। परन्तु यदि ऐसी बात दान विलेख में हो कि अमुक घटना के घटित होने पर दान विखंडित होगा तो ऐसी शर्त लगायी जा सकती है बशर्ते घटना का घटित होना दाता की मर्जी पर निर्भर न हो। दूसरे पैराग्राफ में स्पष्ट किया गया है कि दान उन परिस्थितियों में भी खंडित हो सकता है जिन परिस्थितियों में संविदा मंसूख की जा सकती है जैसे कपट, असम्यक असर, मिथ्यापदेशन, डयूरेस आदि। संविदा प्रतिफल न होने पर शून्य होगी यह शर्त दान में नहीं लागू है। तीसरे पैराग्राफ में यह बताया गया है कि पैरा 1 व 2 के अतिरिक्त दान अन्यथा विखंडित नहीं होगा। वी० वी० जानकी बनाम पी० पी० पारो में दान सही ढंग से हुआ। स्वीकृति दी गई कब्जा दे दिया गया। दाता को इसके बाद अहसास हुआ कि दान करके उसने भूल की है, गलती की है, मूर्खता की है। अतः दान को मंसूख करना चाहा। उसमें ऐसा अधिकार नहीं माना गया दान अविखंडनीय था।

चौथे पैराग्राफ में बोनाफाइड अन्तरिती फॉर वैल्यू विदआउट नोटिस को धारा 122 में की गई किसी भी बात से प्रभावित हुआ नहीं माना गया है। दान का विखंडन निम्नलिखित ढंग से सम्भव है :-

(1) करार द्वारा – दान का विखंडन इस रीति से सम्भव है जिसके अनुसार दाता तथा आदाता को अधिकार होगा कि दान के प्रतिसंहरण या निलम्बन के सिलसिले में स्पष्ट करार लें। पक्षों का यह अधिकार अबाधित है। परन्तु इस अधिकार की निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है।

(अ) प्रतिसंहरण या निलम्बन उसी स्थिति में सम्भव है, जब उनकी स्थिति,

(ब) किसी ऐसी विनिर्दिष्ट घटना के,

(स) घटित होने पर आधारित हो, जिसका घटित होना;

(ध) दाता की कोरी इच्छा पर प्रतिसंहरणीय हो या पूर्णतः हो,

(न) चाहे अंशतः प्रतिसंहरणीय हो या पूर्णतः हो,

(प) शून्य होगा।

करार द्वारा दान के प्रतिसंहरण का आधार यह सामान्य सिद्धांत ही है कि यदि कोई व्यक्ति कोई वस्तु किसी व्यक्ति को उदारता के कारण दे और उसी समय उस सम्पत्ति को वापस ले लेने की पूर्ण स्वतंत्रता भी अपने पास आरक्षित रखे तो वस्तुतः उसका देना न देने के बराबर ही होगा और अन्तरण व्यवस्था के सिद्धांतों में समरूपता एवं स्थिरता कभी लायी ही नहीं जा सकेगी। इस प्रकार के सिद्धांत का सामंजस्य दाता के हितों की सुरक्षा से स्थापित किया गया है। दाता अपनी इच्छानुसार दान खंडित नहीं कर सकेगा और न तो दान का खंडन किसी ऐसी विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर ही जा सकेगा जो दाता की इच्छा पर घटित हो सकती हो। करार द्वारा दोनों नियंत्रण न हो, के घटित होने पर शून्य होगा। ऐसी घटना पर आधारित विखंडन का अधिकार वैध होगा; उदाहरणार्थ :-

अ ने ब को एक खेत दान दिया। दान के समय शर्त रखी गयी थी कि यदि ब, अ के जीवन काल में निःसंतान मर जाय तो दान शून्य होगा। ब की 10 सल बाद निःसंताल अवस्था में मृत्यु हो गई। दान खंडित किया जा सकता।

विखंडन सम्बन्धी करार दान के समय ही होना चाहिए – प्रतिसंहरण सम्बन्धी अधिकार दान के समय ही होना चाहिये क्योंकि दान पूर्ण हो जाने के बाद ऐसी शर्त शून्य होगी। विखंडन का अधिकार किसी स्पष्ट शर्त एवं निश्चित घटना पर निर्भर होना चाहिये। दान तथा विखंडन अलग-अलग विलेखों द्वारा सम्भव है परन्तु दोनों को एक ही संव्यवहार का भाग मानना होगा शर्त अधिनियम की धारा 10, 11 तथा 25 के अधीन वैध होनी चाहिये; उदाहरणार्थ :-

अ ने ब को एक लाख रूपया दान दिया। ब की सहमति से अ ने यह करार किया कि अ अपनी इच्छानुसार दान किये गये धन से दस हजार रूपया, जब चाहे वापस ले सकेगा। दान नब्बे हजार रूपये तक की राशि के लिए वैध है परन्तु दस हजार के लिए दान वैध नहीं है।

बिना करार द्वारा प्रतिसंहरण – प्रतिफल की अनिवार्यता की स्थिति के अतिरिक्त दान-संव्यवहार भी एक सर्वांगपूर्ण संविदा होती है। अतएव संविदा को मंसूख करने वाले अनेक कारण दान के सिलसिले में भी अक्षरशः लागू होते हैं। इस दृष्टिकोण से संविदा अधिनियम की धारायें 15, 17, 18, 19, 20, 21 विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। बिना करार द्वारा दान का प्रतिसंहरण निम्नलिखित परिस्थितियों में सम्भव है।

(अ) दबाव की स्थिति में किया गया दान – दबाव किसे कहते हैं? दबाव का अर्थ 'जबरदस्ती' है जो भारतीय दंड संहिता द्वारा मना किये गये कत्ल, चोरी, राहजनी, डकैती, चोट इत्यादि किसी भी अपराध या कृत्य करने या करने की धमकी आदि के आधार पर कोई आचरण कराया जाय या किसी करार को करने के लिये द्वितीय पक्ष की कोई सम्पत्ति प्रथम पक्ष संविदा की पूर्व शर्त के रूप में रोक रखे या रोक रखने की धमकी दे। इसी स्थिति में दिया गया दान बिना किसी पूर्व करार के भी उस व्यक्ति के विकल्प पर विखंडनीय रहेगा जिसके ऊपर दबाव डाला गया है। दबाव की स्थिति दान को प्रतिसंहरणीय कर देती है चाहे दबाव आदाता की तरफ से हो या किसी अन्य माध्यम से दबाव पड़ा हो।

उदाहरणार्थ :- अ, ब के साथ रेल-यात्रा में है। अ ने ब को जान से मार देने की धमकी दी, यदि ब ने अपनी सम्पत्ति का आधा हिस्सा अ के नाम हिबा नही कर दिया। ब ने हिबानामे पर हस्ताक्षर कर दिया। दान ब के विकल्प पर खंडित हो सकता है।

(ब) अनुचित प्रभाव – यदि दाता तथा आदाता के दान के समय वर्तमान सम्बन्ध इस प्रकार हो कि आदाता किसी भी रूप में दाता की इच्छा को प्रभावित कर सके और वस्तुतः सम्बन्धित दान ही प्राप्ति में आदाता ने अपनी इस स्थिति का यथासम्भव प्रयोग भी किया हो जिससे दाता को नैतिकतया बाध्य होकर दान करना पड़ा हो तो दान दाता के विकल्प पर विखंडनीय रहेगा;

जैसे – रोगी द्वारा किया गया चिकित्सक को दान, शिष्य द्वारा किया गया गुरू को दान, नौकर द्वारा किया गया मालिक को दान, ऋणी द्वारा किया गया ऋणदाता को दान आदि।

उदाहरणार्थ – अ, ब का लड़का है। लड़के अ की बाल्यावस्था में ब ने सारा खर्चा किया। अ के बालिग होने पर ब ने संयुक्त सम्पत्ति के उसे सारे हिससे का हिबानामा लिखा। हिबानामा अ की इच्छा पर खंडित हो सकेगा। ऐसी स्थिति में अनुचित प्रभाव की अवधारणा होती है, जब तक कि ब इस अवधारणा के प्रतिकूल तथ्य साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित न कर दे।

(स) कपट – कपट का तात्पर्य ऐसे किसी भी दुराव या राय से होता है जिसका लक्ष्य द्वितीय पक्ष को उसकी स्थिति बदलने के लिए प्रेरित करना होता है। कपट निम्नलिखित परिस्थितियों में सम्भव होगा :-

(i) असत्य (सजेस्सियो फोल्साई)
(ii) दुराव (सप्रेस्सियो वेरी)
(iii) करने के लक्ष्य से रहित करार
(iv) धोखा देने की क्षमता का अन्य कोई कार्य
(v) कपटपूर्ण अन्य कोई आचरण।,

उपर्युक्त परिस्थिति में कराया गया दान वैध नहीं होगा। दाता यदि चाहे तो दान शून्य हो सकेगा।

उदाहरण – अ ने ब को मकान दान कर दिया, जिसका फर्श कमजोर था। अ ने मकान के इस गुप्त दोष को प्रकट नहीं किया कि मकान का फर्श व्यापारिक कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार का दुराव कपटपूर्ण है; अतएव दान य की इच्छा पर शून्य हो सकेगा।

(द) किसी भी दान की स्थिति व्यपदेशन पर यदि आधारित हो तो दान दाता की इच्छा पर खंडित किया जा सकेगा। व्यपदेशन निम्नलिखित परिस्थितियों में सम्भव होगा :-

(i) जब सक्रिय बयान हो परन्तु किये गये विवरण की तो प्रस्तुतकर्त्ता के पास कोई जानकारी हो या ऐसा विवरण तथ्यतः असत्य हो, भले ही इस असलियत का पता उसको न रहा हो।

(ii) कर्त्तव्य-भंगता - यदि किसी व्यक्ति ने किसी स्पष्ट दायित्व से अपना मुख मोड़ लिया हो, जिससे किसी को धोखा देने की नीयत के बिना भी उसे या उसके मातहत अन्य किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई लाभ हो गया हो।

(iii) किसी वस्तु की स्थिति के विषय में किसी अन्य व्यक्ति को भूल करने के लिये प्रेरित करने का कार्य।

भूल की स्थिति में किया जाने वाला दान - यदि दात ने किसी स्वामित्व या स्वत्व-विषयक ज्ञान तथ्य या कानून के ज्ञान के अभाव में दान दिया गया हो तो दान के बाद यथास्थिति का ज्ञान होने पर संव्यवहार खंडित किया जा सकेगा।

विखंडन के अपवाद - विखंडन निम्न परिस्थितियों में सम्भव नहीं होगा :-

साम्यानुमोदित खरीदार - विखंडन का अधिकार किसी ऐसे खरीददार को जिसे विखंडन के किसी करार एवं संविदा को शून्य करने वाली परिस्थितियों की स्थिति के विषय में कोई ज्ञान न हो और खरीददार ने शुद्ध हृदय से सप्रतिफल लिया हो तो विखंडन का अधिकार किसी भी स्थिति में उपादेय नहीं होगा; परन्तु निम्न शर्तें आवश्यक हैं :-

(अ) खरीददार को दान के विखंडन की कोई सूचना न हो,

(ब) अन्तरण सप्रतिफल रहा हों;

उदाहरणार्थ - अ ने ब को रजिस्ट्रीकृत प्रपत्र द्वारा अपना मकान दान कर दिया। दान का कारण ब द्वारा अ पर डाला गया नैतिक दबाव था। ब ने दान के कुछ समय बाद वह मकान स को 5,000 रूपये में बेच दिया। स को बचाव की स्थिति का कोई पता नहीं था। अ ने दान को विखंडित करने का वाद चलाया। प्रश्न था कि क्या दान खंडित हो सकेगा? दान सामान्यतः दबाव के कारण खंडित हो सकता था। परन्तु अब खंडित होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि स ने शुद्ध हृदय से सप्रतिफल हित उसी सम्पत्ति में खरीद लिया है।

अपूर्ण दान - अपूर्ण दान किसी भी समय खंडित हो सकेगा। दान की अखंडनीयता ऐसे संव्यवहारों में लागू नहीं होगी।

दान का प्रतिसंहरण किस समय तक सम्भव है? - दान के सिलसिले में विस्मरणीय तथ्य विखंडन का समय है जिसके लिए निम्न प्रश्न विचारणीय हैं।

निष्पादन के पश्चात् परन्तु रजिस्ट्री के पूर्व विखंडन - यह प्रश्न भारतीय न्यायालयों में काफी दिनों तक विवादास्पद रहा, जिसका अंतिम निराकरण प्रिवी कौंसिल द्वारा कल्याण सुन्दरम बनाम करूप्पा नामक मामले में किया गया। इस मामले में सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 123 तथा पंजीकरण अधिनियम की धारा 47 में सामंजस्य की चर्चा करते हुए कहा गया कि धारा 123 के अन्तर्गत रजिस्ट्री आवश्यक औपचारिकता है ताकि अचल सम्पत्ति का दान प्रवर्तित हो सके। परन्तु यह तथ्य दान को रजिस्ट्रेशन तक के लिए निलम्बित नहीं रखेगा। जैसे ही दान-विलेख निष्पादित एवं अनुप्रमाणित होकर दाता द्वारा आदाता को सौंप दिया जाता है और आदाता उसे स्वीकार कर लेता है तो दान पूर्ण हो जाता है क्योंकि दान को सफल, पूर्ण, प्रभावी एवं प्रवर्तनीय करने के लिए प्रत्येक सम्भव प्रयास दाता कर चुकेगा। रजिस्ट्री दाता की राय या स्वीकृति पर निर्भर नहीं होगी, क्योंकि पंजीकरण कानून द्वारा स्थापित सरकारी अधिकारी का दायित्व है। अतएव विलेख निष्पादन के बाद आदाता की स्वीकृति मिलते ही दान पूरा हो जाता है, भले ही दान की रजिस्ट्री भविष्य की किसी तारीख के लिए निलम्बित कर दी गई हो। ऐसी स्थिति में दान खंडनीय नहीं होगा परन्तु रजिस्ट्री हो जाने के बाद भी यदि आदाता की

स्वीकृति न मिल सकी हो तो दान खंडित हो सकेगा।

कब्जे के परिदान के पूर्व एवं रजिस्ट्री के बाद विखंडन – दान-विलेख यदि समुचित रूप से पंजीकृत न हो तथा कब्जा दे दिया गया हो तो दान प्रवर्तनीय नहीं होगा; क्योंकि भागिक अनुपालन का सिद्धांत दान मामले में नहीं लागू होता है। रजिस्ट्री द्वारा अपूर्ण दान पूर्ण नहीं हो सकेगा तथा इसी तरह बिना रजिस्ट्रीकृत दान-विलेख के स्वामित्व का अन्तरण भी नहीं हो सकता। कब्जा दान के लिए अनिवार्य तत्व नहीं हैं। परन्तु वैध दान-विलेख की स्थिति में कब्जे के पहले खंडित होने के प्रश्न तर्कसंगत नहीं होगा।

दाता की इच्छा पर विखंडन कदापि सम्भव नहीं – यदि दाता ऐसा अधिकार सुरक्षित रखना चाहे कि वह जब चाहेगा तभी दान खंडित कर सकेगा, ऐसी शर्त अवैध एवं दान निराधार है। दान धारा 126 में मान्य दो ढंगों के अतिरिक्त (करार एवं शून्यकरणीय तथ्यों की स्थिति) अन्य किसी तीसरे ढंग से खंडित किया जा सकता है। जैसे बिना प्रतिफल के संव्यवहार में विखंडन की पूरी स्वतंत्रता संव्यवहार की प्रकृति के प्रतिकूल व्यवस्था है। विखंडन आसान होने की स्थिति में बिना प्रतिफल के संव्यवहार कभी सम्भव ही न हो पाते।

सशर्त दान किसे कहते है? – सशर्त दान एवं दान के बाद शर्त दो भिन्न तथ्य है। सशर्त दान वैध है, शर्तें चाहे पूर्ववर्ती हो या उत्तरवर्ती हो। यदि शर्त वैध हो और दान वैध हो तथा दोनों एक साथ विद्यमान हो तो सशर्त दान होगा यदि शर्त शून्य हो या अवैध हो या शैरकानूनी हो तो शर्त का अनुपालन जरूरी नहीं होगा। ऐसा मान लिया जायेगा कि शर्त है ही नही। दान अप्रभावित रहेगा। यदि दान हो जाय और उस पर शर्त लगाई जाय तो शर्त शून्य हो जायेगी। सशर्त दान में शर्त दान का एक अतिरिक्त आवश्यक तत्व है। सामान्य दान में जिस तरह दाता, आदाता दान की सम्पत्ति, मफ्त अन्तरण, स्वेच्छापूर्ण अन्तरण एवं रजिस्ट्री अनिवार्य है उसी तरह सशर्त दान में इन सबके अतिरिक्त शर्त भी अनिवार्य है। यदि दान शर्त के साथ एवं शर्त के मातहत किया गया हो और शर्त उसी दस्तावेज में है जिसके द्वारा किया जा रहा हो तो वह सशर्त दान होगा। यदि वैध है यदि दान एवं शर्त अलग-अलग दस्तावेज में हों, तो शर्त निष्प्रभावी हो जायेगी।

परन्तु जहाँ जहाँ दान-विलेख का निष्पादन भूत और भविष्य की सेवाओं के लिए किया गया था और दानगृहीता दाता को ऐसी सेवाएँ अर्पित करने में विफल रहा था। दान-विलेख में दान-विलेख के प्रतिसंहरण के लिए इस प्रकार की किसी शर्त का उल्लेख नहीं था। अभिनिर्धारित हुआ कि दान-विलेख का प्रतिसंहरण नहीं किया जा सकता था क्योंकि दान-विलेख सशर्त नहीं था।

धारा 127 दुर्भर दान – जहाँ कि दान, एक ही व्यक्ति को ऐसी कई चीजों के एकल अन्तरण के रूप में है जिनमें से एक पर बाध्यता का बोझ है और अन्यों पर नहीं है। वहाँ आदाता उस दान द्वारा कुछ नहीं पा सकता जब तक कि वह उसे पूर्णतः प्रतिगृहीत नहीं करता।

जहाँ कि कोई दान कई चीजों के लिए एक ही व्यक्ति को दो या अधिक पृथक और स्वतंत्र अंतरणों के रूप में है। वहाँ आदाता उनमें से एक को प्रतिगृहीत करने के लिए और अन्यों को लेने से इंकार करने के लिए स्वतंत्र है चाहे पर्वूकथित फायदाप्रद हो और पश्चात्कथित दुर्भर हो।

निरर्हित व्यक्ति को दुर्भर दान – जो आदाता संविदा करने के लिए अक्षम है और किसी ऐसी सम्पत्ति को, जिस पर बाध्यता का बोझ है, प्रतिगृहीत कर लेता है, वह अपने प्रतिग्रहण से आबद्ध नहीं है। किन्तु यदि संविदा करने के लिए सक्षम होने के पश्चात् और बाध्यता की जानकारी रखते हुए वह दी हुई सम्पत्ति को प्रतिधृत कर लेता है, तो वह ऐसे आबद्ध हो जाता है।

दृष्टांत

(क) क के एक समृद्ध संयुक्त स्टाका कम्पनी भ में अंश है और कठिनाइयों में ग्रस्त एक संयुक्त स्टाक कम्पनी में भी उसके अंश हैं म में के अंशों मद्धे भारी मांगों की प्रत्याशा है। क संयुक्त स्टाक कम्पनियों में के अपने सब अंश ख को दे देता है, म में अंशों को प्रतिगृहीत करने से ख इंकार करता है। वह